न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी–देवेन्द्र कुमार
आई0ए0एस0

प्रा0 पत्र सं0 89/2010 प्रा0पत्र 14 (4) आवंटन नियम 1970
सरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) दौसा जिला दौसा

..प्रार्थी

बनाम

मलखान पुत्र लच्छा जाति बंजारा निवासी बापी (फौत)
1/1. मनिया देवी पत्नि मलखान
1/2 सुंदर सिंह पुत्र मलखान
1/3 कप्तान सिंह पुत्र मलखान
1/4 राजेन्द्र सिंह पुत्र मलखान
समस्त जाति बंजारा निवासी शिवरामपुरा
1/5 तारावती पुत्री मलखान पत्नि रघुवीर सिंह निवासी धमेना तह0 समशाहबाद आगरा उ0प्र0
1/6 मंजू पुत्री मलखान पत्नि हरवीर सिंह निवासी ग्राम ककरारा तहसील नदबई जिला भरतपुर
1/7 सीमा पुत्री मलखान पत्नि उदयसिंह निवासी खिडका तहसील रूपबास जिला भरतपुर

..अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14 (4) भू–आवण्टन नियम–1970

उपस्थित–1. श्री राजेश कुमार शर्मा, राजकीय अधिवक्ता।

<u>निर्णय</u> दिनांक:19.2.2024

1. संक्षिप्त वृतांत प्रा0 पत्र 14 (4) इस प्रकार है कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 03.10.1985 को ग्राम बापी तहसील दौसा हाल तहसील सैंथल के आ0ख0नं0 770/1 रकबा 0.05 है0 भूमि का आवंटन अप्रार्थीगण के पति/पिता मलखान पुत्र लच्छा जाति बंजारा निवासी बापी को कर दिया गया। अप्रार्थी मलखान द्वारा आवण्टन की शर्तो की पालना नहीं करने के कारण तहसीलदार (भूमिधारी) दौसा द्वारा यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14 (4) भू–आवण्टन नियम–1970 के तहत इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

2. प्रा0 पत्र 14 (4) दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया।

3. राजकीय अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में दलील है कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा अप्रार्थी मलखान पुत्र लच्छा जाति बंजारा निवासी बापी तहसील दौसा को दिनांक 03.10.1985 को ग्राम बापी 770/1 रकबा 0.05है. किस्म गै0मु0 रास्ता भूमि का आवंटन किया गया। आवंटन होने पर नामान्तरण सं0 159 दिनांक 16.7.1992 को गैर खातेदारी दर्ज हुआ। परन्तु आवंटी द्वारा आवंटित भूमि पर आवंटन की शर्तो की पालना नहीं की गई। मौके पर भूमि खाली (पडत) पडी हुई है। भूमि

....निरन्तर 2 पर

जिला कलेक्टर,दौसा

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2024.05.14 10:49:27 IST
Reason: SelfAttested

प्रा0 पत्र सं0 89/2010 प्रा.पत्र.14(4)

आज तक भी गैर खातेदारी दर्ज है। मुताबिक रिपोर्ट पटवारी/भू अभिलेख निरीक्षक के आवंटी/गैर खातेदार ने उक्त आवंटित की गई भूमि पर कब्जा काश्त नहीं की जाकर भूमि उपयोग में नहीं ली गई है। अतः आवंटन की शर्तो की पालना नहीं होने के कारण आवंटन निरस्त योग्य है। अतः आवंटी को किया गया आवंटन निरस्त फरमावें।

4. अप्रार्थीगण के बाद तामील अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

5. हमने राजकीय अधिवक्ता की एकतरफा बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा अप्रार्थी मलखान पुत्र लक्ष्छा जाति बंजारा निवासी बापी को दिनांक 3.10.1985 को ग्राम बापी स्थित भूमि खसरा नंबर 770/1 रकबा 0.05है. गै0मु0 रास्ता भूमि आवंटित की गई थी। भूमि आज दिनांक तक गैर खातेदारी में दर्ज चली आ रही है। पत्रावली में संलग्न खसरा गिरदावरी संवत 2056 से 2059 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रश्नगत भूमि बंजड पडी हुई है। आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं की गई है। अतः आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 3.10.1985 को अप्रार्थी मलखान को आवंटित की गई भूमि पर आवंटन शर्तों की पालना नही करने से उक्त आवंटन खारिज किया जाना हम उचित समझते है।

6. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी तहसीलदार, दौसा द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र 14 (4) स्वीकार किया जाता है। आवंटन सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 3.10.1985 के द्वारा ग्राम बापी में अप्रार्थी मलखान के पक्ष में किया गया आवंटन आदेश खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार (भूमिधारी) दौसा को प्रेषित की जावे। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद तकमील पत्रावली प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर दौसा
जिला कलेक्टर,दौसा

निर्णय आज दिनांकः 19 फरवरी, 2024 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया। इस निर्णय की अपील सक्षम न्यायालय में 30 दिवस के भीतर की जा सकेगी।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर,दौसा

न्यायालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट दौसा

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2024.05.14 10:49:27 IST
Reason: SelfAttested